महत्वपूर्ण निर्देश - 19

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 492 002

क्रमांक / 1322 / एफ–05–11 / 2007 / 14–2 रायपुर, दिनांक 12 / 04 / 2010

प्रति,

1. संचालक, कृषि / उद्यानिकी,
   छत्तीसगढ़, रायपुर.
2. संचालक,
   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
   छ.ग. रायपुर.
3. कलेक्टर,
   जिला .... (सर्व).
4. संभागीय संयुक्त संचालक कृषि,
   रायपुर / बिलासपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर.
5. उप संचालक कृषि,
   जिला .... (सर्व).

विषय :– कृषकों द्वारा निजी विकेताओं से सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध संरक्षण दवाईयां कय करने पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का लाभ देने की प्रकिया।

––00––

विभागीय पत्र क.1145 / एफ 05–11 / 2007 / 14–2 रायपुर दिनांक 30.03.2010 जारी निर्देश को निरस्त करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किया जाता है –

आप सभी अवगत है कि सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं समस्त पौध संरक्षण दवाईयां कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों सामग्रियों के विकय हेतु उक्त आदेश एवं अधिनियम के अंतर्गत विकेताओं को लायसेंस लेना आवश्यक है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत विकय का कमश: प्राधिकार पत्र एवं अनुज्ञा पत्र देने एवं इन सामग्रियों की गुणवत्ता एवं प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए जिले के उप संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (निरीक्षक) को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध संरक्षण औषधी (Pesticide) वितरण के लिए मार्कफेड ही एक मात्र एजेंसी है, एतद् द्वारा मार्कफेड के साथ ही साथ इफको, नाफेड, कृभको तथा अनुज्ञप्तिधारी निजी विकेताओं को भी अधिकृत किया जाता है। सहकारिता क्षेत्र की संस्थाओं (मार्कफेड, इफको, कृभको, नाफेड) हेतु प्रचलित प्रकिया पूर्ववत जारी रहेगी।

कृषकों द्वारा निजी विकेताओं से सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध संरक्षण दवाईयां कय करने पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का लाभ देने की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(1) ऐसे समस्त निजी विकेता जिनके पास उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत् प्राधिकार पत्र तथा कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत् अनुज्ञा पत्र (लायसेंस) प्राप्त है, पंजीकृत निजी विकेता कहलायेंगे।

(2) इस प्रकार पंजीकृत (लायसेंसी) निजी विकेता की सूची जिला मुख्यालय, अनुभाग मुख्यालय एवं विकासखंड मुख्यालय के सूचना फलक पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(3) पंजीकृत निजी विकेता कृषक द्वारा कय किये सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं कीटनाशी दवाओं का केशमेमो कृषक के पक्ष में जारी करेगा । केशमेमो मुद्रित होना चाहिए, इन पर निजी विकेता का नाम, कमांक लायसेंस कमांक टिन नम्बर, मुद्रित होना आवश्यक है। प्रत्येक केशमेमो पर क्रय करने वाले कृषक का नाम, ग्राम का नाम एवं पता अंकित करना एवं कृषक के हस्ताक्षर लेना होगा। केशमेमों में सामग्री का नाम, विक्रय दर, मात्रा, कालातीत होने की तिथि, बेच नं./लॉट नं. तथा कुल कीमत दर्शाना होगा।

(4) पंजीकृत निजी विकेताों को कीटनाशी अधिनियम 1968 कीटनाशी नियम 1971 एवं इन्सेक्टीसाईट आदेश, 1986 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों (कीमत स्कंध एवं अन्य प्रावधानों) का कड़ाई से पालन करना होगा।

(5) यदि कोई कृषक सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध संरक्षण दवाइयों का उपयोग करना चाहता है व योजनांतर्गत अनुदान का लाभ लेना चाहता है, उसे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को आवेदन करना होगा।

(6) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषक के आवेदन पर सूक्ष्म पोषक तत्व/पौध संरक्षण दवाई की मात्रा एवं अनुदान की पात्रता एवं उपचारित क्षेत्र की गणना कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अनुदान पर क्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन अग्रेषित करेगा।

(7) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व/पौध संरक्षण दवाई विकासखंड को प्राप्त लक्ष्य के अध्याधीन रहते हुए क्रय करने की अनुमति प्रदान करेगा।

(8) कृषक किसी भी पंजीकृत निजी विकेता से सूक्ष्म पोषक तत्व/पौध संरक्षण दवाई क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा। सूक्ष्म पोषक तत्व/पौध संरक्षण दवाई क्रय–विक्रय दर कृषक द्वारा मोल–भाव से निजी विकेता के साथ तय की जावेगी । क्रय–विक्रय दर निर्धारित करने में विभाग की कोई भूमिका नहीं होगी।

(9) यदि कोई कृषक बैंक ऋण से सूक्ष्म पोषक तत्व/पौध संरक्षण दवाई क्रय करना चाहता है तो ऐसे कृषक का आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा संबंधित बैंक/सहकारी समिति को अनुशंसा के साथ 3 दिवस की समय–सीमा में अग्रेषित करना होगा। संबंधित बैंक इन सामग्रियों को फसल ऋण के रूप में कय करने हेतु पूर्ण राशि का फसल ऋण कृषक को स्वीकृत करेगा एवं अनुदान की मांग दस्तावेज के साथ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) कृषक जिन्होंने नगद में अथवा फसल ऋण के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्व/पौध संरक्षण दवाई पंजीकृत निजी विकेता से क्रय किया है, का भौतिक सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को करना होगा। साथ ही कृषक के केश मेमो पर इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि केश मेमो पर दर्शायी गई मात्रा .... का .... हेक्टेयर में सूक्ष्म पोषक तत्व/पौध संरक्षण दवाई का उपयोग क्रय करने वाले कृषक द्वारा किया गया है। कृषक का केश मेमो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(11) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी देयक का परीक्षण कर एक सप्ताह में अनुदान भुगतान हेतु प्रस्ताव उप संचालक कृषि को अग्रेषित करेगा।

(12) उप संचालक कृषि द्वारा एक सप्ताह की समय–सीमा के अंदर संबंधित कृषक/बैंक को अनुदान की राशि सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जावेगा।

अनुदान की पात्रता :–

(1) कृषि विभाग द्वारा कियान्वित केन्द्र क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के Schedule-I Part 'A' में सम्मिलित सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित ग्रेड के सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

(2) सभी प्रकार के पौध संरक्षण औषधियां जिन्हें विभाग द्वारा कियान्वित केन्द्र क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत घटकों में शामिल वे समस्त पौध संरक्षण औषधियों पर जिन्हें कीटनाशी अधिनियम 1968 में अधिसूचित किया गया है, अनुदान देय होगा। इसके अलावा योजनाओं के घटकों में शामिल जैविक पौध संरक्षण औषधियों पर भी अनुदान देय होगा ।

सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध संरक्षण दवाई की अनुशंसित मात्रा :–

(1) 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर। अथवा मिट्टी परीक्षण परिणाम अनुसार अनुशंसित मात्रा ।

(2) पौध संरक्षण दवाई आवश्यकता एवं सिफारिश के अनुसार।

उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध संरक्षण दवाई पर अनुदान देने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जावे :–

(1) विभाग द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध संरक्षण दवाई क्रय नहीं किया जावेगा।

(2) कृषकों को अनुदान का लाभ नगद नहीं दिया जावे अपितु कृषक के बैंक खाते में ही कृषक की पात्रता अनुसार अनुदान का भुगतान करेंगे। पंजीकृत निजी विकेता को अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जावे।

(3) जिला एवं विकासखंड स्तर पर कृषि विभाग, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं अन्य संबंधित विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित कर प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी सर्वसंबंधितों को दी जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

12/4/10
(एस. के. हेमराज)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
रायपुर, दिनांक 12/04/2010

पृ. कमांक/1323/एफ 05–11/2007/14–2

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।
2. विशेष सहायक मान. कृषि मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
4. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन, कृषि विभाग।

12/4/10
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग